राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सोलन, के छात्र निधि लेखों का अवधि 04/1995 से 03/2014 का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

भाग–एक

1 **विगत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–**

संस्कृत महाविद्यालय सोलन के निधि लेखों से संम्बन्धित विगत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनिर्णीत पैरों पर कृत कार्यवाही की समीक्षा के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नानुसार है वर्षो से अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई सुनिश्चित करें।

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि		पैरा संख्या	टिप्पणी
04/78 से 03/83	(1)	पैरा 3	अनिर्णीत
04/84 से 03/92	(1)	पैरा 4	अनिर्णीत
	(2)	पैरा 5	अनिर्णीत
	(3)	पैरा 6 (ग)	अनिर्णीत
	(4)	पैरा 7 (क)	निर्णीत
	(5)	पैरा 7 (ख)	अनिर्णीत
	(6)	पैरा 8	अनिर्णीत
04/92 से 03/95		पैरा 4	अनिर्णीत
		पैरा 5	अनिर्णीत
		पैरा 6	अनिर्णीत
		पैरा 7	अनिर्णीत
		पैरा 8 (क तथा ख)	अनिर्णीत
		पैरा 9	अनिर्णीत

भाग–2

2 **वर्तमान अंकेक्षणः–**

महाविद्यालय के अवधि 01–04–1995 से 31.3.2014 के निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शायें गए है, श्री पुनीश सागर अनुभाग अधिकारी तथा श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सोलन, में किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान आय की विस्तृत जाँच हेतु

माह 09/1995, 09/1996, 10/1997, 11/1998, 11/1999, 09/2000, 09/2001, 07/2002, 08/2003, 07/2004, 09/2005, 08/2006, 08/2007, 06/2008, 06/2009, 06/2010, 06/2011, 06/2012 तथा 06/2013 तथा व्यय हेतु माह 12/1995, 10/1996, 03/1998, 09/1998, 11/1999, 10/2000, 09/2001, 09/2002, 11/2003, 10/2004, 01/2006, 04/2006, 04/2007, 11/2008, 11/2009, 04/2010, 01/2012, 02/2013 तथा 04/2013 का चयन किया गया था अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शायें गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पाठशाला प्रशासन द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा महाविद्यालय प्रशासन द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाने किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

3 **अंकेक्षण अवधि में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सोलन, में निम्नलिखित प्रधानाचार्य आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहेः–**

क्रमांक	प्रधानाचार्य का नाम	अवधि
1	डा. कुमार सिंह सिसोदिया	1/4/1995 से 18/9/04
2	श्री हरी बल्लभ शर्मा	19/09/04 से 08/07/05
		19/07/05 से 31/01/06
3	डा. लेख राम शर्मा	1/2/06 से 3/6/05 तथा
		4/5/06 से 29/02/08
4	डा. प्रेम लाल गौतम	1/3/08 से 23/12/08
		24/01/08 से 31/10/12
5	डा. राम दत्त्त शर्मा	1/11/12 से 24/7/13
6	डा. केशवानंद कौशल	25/07/2012 से 31/3/2014

4 लेखा परीक्षा शुल्कः—

राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सोलन, के लेखाओं अवधि 04/95 से 03/14 तक का अंकेक्षण निम्नविवरणानुसार ₹1,02,000 बनता है। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) के पत्र संख्या 146 दिनाँक 26/12/14 द्वारा यह राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—9 को भेजने हेतु अनुरोध किया गया था तथा महाविद्यालय द्वारा ड्राफ्ट **संख्या "879248"** दिनाँक 17/01/2015 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—9 को प्रेषित कर दिया गया है।

5 वित्तीय स्थितिः—

महाविद्यालय की अवधि 01.04.1995 से 31.03.2014 की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट "क"** पर संलग्न है।

वित्तीय स्थिति के पड़ताल के दौरान निम्नलिखित आपतियां पाई गईः—

(i) वर्ष 1998—99 के दौरान किये गये कुल व्यय ₹14,178 में ₹2263 लाइब्रेरी सेक्योरिटी निधि से सम्बन्धित खर्च सम्मिलित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान इस निधि की अवधि 01/01/1995 से 22/07/98 तक की रोकड़ बही प्रस्तुत नहीं की गई। इस निधि की पास बुक के अनुसार दिनाँक 01/04/95 को ₹25039.01 शेष थे तथा दिनाँक 23/07/98 को रोकड़ बही के अनुसार आरम्भिक शेष ₹22776.01 था। अवधि 01/04/95 से 22/07/98 के दौरान इस फडं के शेष में net ₹2263 {25039.01 (दिनाँक 01/04/95 को शेष)—22776.01 (दिनाँक 23/07/98 को शेष)} की कमी आई थी परन्तु इस अवधि से सम्बन्धित रोकड़ बही प्रस्तुत न किये जाने के कारण ₹2263 की कमी के सही होने बारे पुष्टि नही की जा सकी। अतः आगामी अंकेक्षण पर इस अवधि से सम्बन्धित रोकड़ बही प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि इस अवधि के दौरान आये net अतंर (व्यय) ₹2263 के सही होने की पुष्टि की जा सके।

(ii) वर्ष 2004—05 के दौरान प्राप्त आय ₹3,71,282 में ₹79,844.55 भवन निधि से सम्बन्धित आय सम्मिलित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान इस निधि की दिनाँक 01/01/1995 से 28/02/05 तक की रोकड़ बही प्रस्तुत नहीं की गई। इस निधि की पास बुक के अनुसार दिनाँक 01/04/95 को ₹102.85 शेष थे तथा दिनाँक 28/02/2005 को रोकड़बही के अनुसार आरम्भिक शेष ₹79947.40 था। अवधि

01/04/95 से 28/02/2005 के दौरान इस निधि के शेष में net ₹79844.55 [₹79947.40 (दिनाँक 28/02/2005 को शेष) ₹102.85 (दिनाँक 01/04/95 को शेष)] की बढोतरी हुई थी परन्तु इस अवधि से सम्बन्धित रोकड़ बही प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस निधि में आई ₹79,844.55 की बढ़ोतरी के सही होने बारे पुष्टि नहीं की सकी। अतः आगामी अंकेक्षण पर इस अवधि से सम्बन्धित रोकड़ बही प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि इस अवधि के दौरान आय ₹79,844.55 की बढोतरी के सही होने की पुष्टि की जा सके।

(iii) वर्ष 2009–10 के दौरान प्राप्त आय ₹3,54,232.21 में ₹16084.21 होस्टल सेक्योरिटी निधि से सम्बन्धित आय सम्मिलित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान इस निधि की दिनाँक 13/06/09 से पहले की रोकड़ बही प्रस्तुत नहीं की गई। इस निधि की रोकड़ बही के अनुसार दिनाँक 13/06/2009 को आरम्भिक शेष ₹16084.21 था परन्तु दिनाँक 13/06/2009 से पहले की अवधि से सम्बन्धित रोकड़ बही प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस निधि के आरम्भिक शेष ₹10684.21 के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः आगामी अंकेक्षण पर दिनाँक 13/06/2009 से पहले की अवधि से सम्बन्धित रोकड़ बही प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि ₹16084.21 के आरम्भिक शेष के सही होने की पुष्टि की जा सके।

(iv) वर्ष 2009–10 के दौरान प्राप्त आय ₹3,54,232.21 में ₹1834 ट्युशन फी फड़ से सम्बन्धित आय सम्मिलित है। इस निधि की रोकड़ बही के अनुसार दिनाँक 30/06/2010 को आरम्भिक शेष ₹1834 था जोकि वर्ष 2009–10 का मार्च/2010 का अंतिम शेष प्रतीत होता है परन्तु अंकेक्षण के दौरान दिनाँक 30/06/10 से पहले की रोकड़ बही के प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस राशि के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः आगामी अंकेक्षण पर दिनाँक 30/06/2010 से पहले की अवधि से सम्बन्धित रोकड़ बही प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि ₹1834 के आरम्भिक शेष के सही होने की पुष्टि की जा सके।

(v) अनुपस्थित दण्ड निधि के अन्तर्गत दिनाँक 05/2001 को आरम्भिक शेष ₹1310.97 लिया गया था जबकि रोकड़ बही के अनुसार दिनाँक 24/10/2000 को अन्तिम शेष ₹893.70 था तथा दिनाँक 24/10/2000 से 05/2001 तक रोकड़ बही में कोई भी प्रविष्टि न होने के कारण दिनाँक 05/2001 को आरम्भिक शेष ₹893.70 Carry

forward किया जाना अपेक्षित था परन्तु यह शेष ₹417 अधिक ₹1310.97 Carry forward लिया गया था। अतः ₹417 किस आधार पर अधिक Carry forward किये गये थे इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(vi) लाइब्रेरी सेक्योरिटी निधि के अतंर्गत दिनाँक 25/07/2001 को आरंम्भिक शेष ₹35474.29 (दिनाँक 04/07/2001 को अंतिम शेष) के स्थान पर ₹100 कम ₹35374.29 Carry forward किया गया था। अतः ₹100 किस आधार पर कम Carry forward किये गये थे इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व त्रृटि को ठीक किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 <u>सावधि निवेशः–</u>

<u>वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण ₹4,72,772 की अतिरिक्त ब्याज आय से वंचित होनाः–</u>

महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "क" अनुसार)** अंकेक्षण अवधि के दौरान महाविद्यालय द्वारा किसी भी राशि का सावधि जमा खाता में निवेश नहीं किया गया था तथा महाविद्यालय के बचत खातों में लाखों रूपये की राशि बिना उचित निवेश के पड़ी थी। यह इस राशि को समय–2 पर उचित वित्तीय प्रबन्धन करते हुए साविध जमा में निवेश किया जाता तो इससे पाठशाला को अतिरिक्त ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती। अंकेक्षणाधीन अवधि में अतिरिक्त ब्याज की हुई हानि ₹4,72,772 का आंकलन नीचे दिया गया है। अगर वर्ष के अन्तिम शेषों के औसतन 75 प्रतिशत भाग को जरूरत अनुसार सावधि जमा में निवेशित किया गया होता तो उक्त अतिरिक्त ब्याज की आय प्राप्त की जा सकती थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि महाविद्यालय में एकत्रित अधिकतम राशि को उचित भागों में बांटकर सावधि जमा में निवेश किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी एक साविध जमा निवेश को समय पर पूर्व भुनाया जा सके तथा निवेशों पर नियमित रूप से अतिरिक्त ब्याज की आय प्राप्त हो सके।

क0सं0	वर्ष	31मार्च को अन्तिम शेष (₹)	75 प्रतिशत राशि जो सावधि जमा निवेश में की जा सकती थी (₹) (लगभग)	5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से प्राप्त होने वाली आय की हानि (₹) (लगभग)
1	1995–96	39720.05	29790.03	1490.00
2	1996–97	41429.10	31071.82	1554.00

3	1997—98	43938.85	32954.14	1648.00
4	1998—99	35470.80	26603.00	1330.00
5	1999—2000	47050.64	35288.00	1764.00
6	2000—01	89615.41	67211.55	3361.00
7	2001—02	133074.23	99805.67	4990.00
8	2002—03	243563.49	182672.61	9134.00
9	2003—04	359026.34	269269.75	13464.00
10	2004—05	588097.54	441073.00	22054.00
11	2005—06	763226.54	572419.90	28621.00
12	2006—07	902389.53	676792.14	33840.00
13	2007—08	1086086.53	814564.89	40728.00
14	2008—09	1224633.53	918475.14	45924.00
15	2009—10	1379599.74	1034699.80	51735.00
16	2010—11	158323074	1187423.00	59371.00
17	2011—2012	1547447.74	1160585.80	58029.00
18	2012—13	1238505.74	928879.30	46444.00
19	2013—14	1261096.74	945822.55	47291.00
			कुल योग=	**4,72,772.00**

7 <u>निधियों से सम्बन्धित रोकड़ बहियों में प्रविष्टियों का सत्यापन न किये जाने बारेः—</u>

निधियों से सम्बन्धित रोकड़ बहियों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि रोकड़ बहियों का रख रखाव उचित रूप से नहीं किया जा रहा है जैसे कि रोकड़ बहियों में कई पृष्ठों पर कटिंग तथा ओवर राईटिंग का पाया जाना, कटिंग तथा ओवर राईटिंग का किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न किया जाना माह के अंत में हस्तगत शेष बारे डी.डी. ओ द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र न दिया जाना, रोकड़ बही में वाऊचर संख्या न लिखा जाना आएि जोकि निम्न कुछ प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है तथा यह हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता के नियम 4.9 में दिए गए निर्देशों की अवहेलना भी है। अतः उपरोक्त त्रुटियों बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाए एवं भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रोकड़ बही का शीर्ष	अवधि	टिप्पणी
1	एन.सी.सी निधि	02/03 से 01/05 तक	रोकड़ बही में शेषों का सत्यापन नहीं किया गया था।
2	यूनिवर्सिटी फी फंड	12/03 से 10/04 तक	यथोपरि
3	फर्नीचर सिक्योरिटी फड़	08/01 से 10/04 तक	यथोपरि
4	होस्टल सेक्योरिटी फंड	08/03 से 12/05 तथा 11/03 से 12/07 तक	यथोपरि
6	होस्टल वाटर चर्जिस फंड	08/04 से 12/04 तथा 12/07 से 06/08 तक	यथोपरि
7	अनुपस्तिथि फाइन फंड	05/01 से 04/04 तक	यथोपरि
8	युटेएंसील फंड	02/03 से 10/04 तक	यथोपरि
9	हाउस बिल्डिंग कमेटी फंड	08/03 से 12/05 तथा 11/06 से 12/07 तक	यथोपरि
10	होस्टल क्लेरिकल फंड	02/04 से 03/06 तक	यथोपरि
12	स्टूडेंट वेलफेयर फंड	12/06/12 से 30/06/12 तक	कटिंग/ओवर राईटिंग का सत्यापन नहीं किया गया था
13	रेड क्रॉस फंड	12/06/12 से 20/06/12 तक	यथोपरि

8 **<u>रसीद बुकस के स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव उचित तरीके से न करने बारेः–</u>**

महाविद्यालय द्वारा विभिन्न निधियों से प्राप्त आय की पड़ताल के दौरान महाविद्यालय के रसीद बुकस के इस्तेमाल में हो रही निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(i) लेखा परीक्षा में पाया गया कि रसीद बुकस से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया जा रहा है जिसके अभाव में अंकेक्षण अवधि के दौरान रसीद बुकस के क्रय किये जाने, जारी किये जाने/इस्तेमाल किये जाने बारे तथा इनके आरम्भिक एवं अतिम शेषों की पड़ताल नहीं की जा सकी। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 89 दिनाँक

06/09/2014 द्वारा भी इस बारे जानकारी मांगी गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई।

(ii) रसीद बुकस का प्रयोग क्रमवार नहीं किया जा रहा था जोकि गम्भीर अनियमितता है। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से हैः–

माह	**निधि संग्रह रजिस्टर की पृष्ठ संख्या**	**जिस क्रम में रसीदों की प्रविष्टियाँ की गई पाई गई।**
08/07	45 से 50	13285 से 13300 उसके पश्चात 13401 से 13500 रसीद बुक इस्तेमाल की गई थी।
06/08	61 से 74	11383 से 11400 उसके पश्चात 13343 से 13400 उसके पश्चात 14067 से 14100 उसके पश्चात 14507 से 14600 उसके पश्चात 15001 से 15005 उसके पश्चात 14601 से 14697 रसीद बुक इस्तेमाल की गई थी।
06/09	89 से 97	15601 से 15700 के पश्चात 15719 से 15800 रसीद बुक इस्तेमाल की गई थी।
07/04	149 से 163	10001 से 10100 के पश्चात 9150 से 9200 उसके पश्चात 10101 से 10150 रसीद बुक इस्तेमाल की गई थी।

(iii) कई रसीदों पर कटिंगस/ओवर राईटिंगस की गई थी जिन्हे सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

उपरोक्त अनियमितताओं के मध्यनजर रसीद बुकस के स्टॉक का उचित तरीके से रख रखाव न करने के अभाव में रसीदो के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ साथ अपने स्तर पर 04/95 से 03/14 तक रसीद बुकस के स्टोर की विस्तृत पड़ताल के उपरान्त तथा रसीद बुकस के स्टॉक रजिस्टर को तैयार करके वस्तुस्थिति तथा नियमानुसार कृत आवश्यक कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त अनियमितताओं की पुनरावृति न हो सके।

आयः–

9 **भवन निधि के अन्तर्गत ₹1920 की वसूली न किये जाने बारेः–**

महाविद्यालय के निधि संग्रह रजिस्टर की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार भवन निधि के अन्तर्गत ₹1920 की वसूली कम की गई थीः–

वर्ष	निधि का शीर्ष	निधि संग्रह रजिस्टर पृष्ठ संख्या	वर्ष 2000–01 के दौरान छात्र/ छात्राओं की संख्या (परिशिष्ट "ग")	वर्ष के दौरान ₹10 प्रति माह की दर से 12 माह जितनी वसूली की जानी अपेक्षित थी (₹) (क)	निधि संग्रह रजिस्टर के अनुसार वर्ष के दौरान ₹10 प्रति माह की दर से जितनी वसूली की गई थी। (₹)। (ख)	जितनी वसूली कम की गई थी। (₹) (क–ख)
2000–01	भवन फंड	7 से 33	212	25440 (212 छात्र X10 रू0 प्रति माह X12 माह)	(212 छात्र ₹10 प्रति माह X6 माह= ₹12720 (180 छात्र ₹10 प्रति माह X6 माह) ₹10800 कुल की गई वसूली= 23520 (12720+10800)	₹1920 (25440–23520)

अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹1920 की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

10 **₹1,12,860 स्काउट एंड गाईड निधि की छात्रों से कम वसूलीः–**

हि.प्र0 सरकार के पत्र संख्या EDN-A-Kha(16)-4/95-vol-Loose Dated 28th Sept.2004 और EDN-H(21)3(7)-1/76-7 dated 14.10.2004 द्वारा हिमाचल प्रदेश के सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यो को निर्देश दिये गए थे की छात्रों से स्काउट एंड गाईड निधि ₹5 प्रतिछात्र प्रति माह की दर से वसूली की जाए एवं सभी कालेजो में स्काउट एंड गाईड की गतिविधियां शुरू की जाए। स्काउट एंड गाईड निधि की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया की महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उक्त निधि का छात्रों से निम्न विवरणानुसार वर्ष 2005 से 2009–10 तक ₹1,12860 की कम वसूली की गई हि0प्र0 सरकार के निर्देशों के अनुसार

स्काउट एंड गाईड निधि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा कम वसूली गई राशि की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

वर्ष	**महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार छात्र/छात्राओं की संख्या (परिशिष्ट संख्या "ग")**	**प्रति माह दर ₹5 की दर से वर्ष के दौरान जितनी वसूली बनती थी। (₹)**	**जितनी वसूली बनती थी जोकि नहीं की गई । (₹)**
2005—06	423	60/—	25380/—
2006—07	346	60/—	20760/—
2007—08	405	60/—	24300/—
2008—09	370	60/—	22200/—
2009—10	337	60/—	20220/—
		कुल योग=	**1,12,860/—**

11 **<u>₹11880 की प्राप्ति से सम्बन्धित प्रविष्ट अभिलेख में न करने बारेः—</u>**

चयनित मासों में आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि माह 06/10 (दिनाँक 10/06/10 से 18/06/10 तक) में रसीद संख्या 16457 से 16500 तक **'कक्षा शुल्क प्रतिस्थापन'** (निधि संग्रह शीर्ष के अन्तर्गत ₹360 प्रति छात्र की दर से 44 छात्र/छात्राओं से ₹15840 ₹360X44 छात्र) प्राप्त किये गये थे परन्तु बाद में रसीदों में यह राशि काट दी गई थी तथा निम्नानुसार 11 छात्र/छात्राओं को यह राशि लौटा दी गई थी (रसीदों की उलटी तरफ छात्राओं की पावती थी) तथा शेष 33 (44—11) छात्रों से ली गई राशि ₹11880 (₹360X33 छात्र) का न तो उन छात्र/छात्राओं को वापिस किया गया दर्शाया गया था तथा न ही इस राशि को लेखों में लेखाकंन करके महाविद्यालय निधि में जमा दर्शाया गया था। यह एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस प्रकरण में छानबीन उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

रसीद संख्या	**छात्र/छात्राओं के नाम जितनी पावतियाँ संलग्न थी/जिन्हे यह राशि लौटा दी गई थी।**
16458	पुनम कुमारी
16459	रवि कान्त

16462	नीरज कुमार
16463	भावना कुमारी
16464	राहुल शर्मा
16465	पंकज शर्मा
16467	हेमलता
16468	मनोज शर्मा
16469	रोहित
16470	कृष्णा
16472	विक्रम शर्मा

12 **₹240 कम जमा करने बारेः–**

चयनित मासों में प्राप्त आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि विभिन्न निधियों के अतंर्गत प्राप्त ₹240 निम्ननानुसार सम्बन्धित निधि संग्रह रजिस्टरों तथा रोकड़ बहीयों में कम लेखांकित की गई पाई गई परिणामस्वरूप ₹240 कम जमा किये गये।

क्र0 सं0	छात्र का नाम	रसीद संख्या/दिनाँक	निधि संग्रह रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	जितनी राशि प्राप्त की गई	जितनी राशि की प्रविष्टि निधि संग्रह रजिस्टर में की गई थी।	जितनी कम राशि की प्रविष्टि निधि संग्रह रजिस्टर में की गई थी।
1	ज्योति लाल	9954/14–07–04	16 से 19	659	559	100
2	पंकज शर्मा	1294/22–08–06	25	679	659	20
3	आशुतोष	18557/20–06–13	173	1120	1000	120
					कुल योग=	**240**

अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा यह राशि उचित स्त्रोत से वसूल करके तथा सम्बन्धित निधियों में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 चालानों द्वारा सरकारी कोष में जमा राशि का मिलान न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान प्राप्त शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क, ट्यूशन शुल्क आदि से प्राप्त राशियों को विभिन्न चालानों के द्वारा सरकारी कोष में जमा करवाई गया परन्तु महाविद्यालय द्वारा समय–2 पर जमा करवाई गई इन राशियों का सम्बन्धित कोष कार्यालय से जमा सम्बन्धी विवरण प्राप्त करके मिलान नहीं किया गया जा रहा है जिससे जमा करवाई गई राशियों की पुष्टि नहीं हो पाई। अतः सरकारी कोष के साथ मिलान न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवश्यक कार्यवाही करके इस विभाग को अवगत करवाऐं। भविष्य में इस अनियमितता की पुरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

14 प्रवेश शुल्क निधियों से प्राप्त राशियों को विलम्ब से जमा करवानाः–

अंकेक्षण के दौरान प्राप्त निधि/प्रवेश शुल्क की राशियों को सम्बन्धित बैंक खातों/सरकारी कोष में जमा की पड़ताल के दौरान पाया गया कि यह निधियों/शुल्क की राशियों को बैंक/सरकारी कोष में विलम्ब से जमा करवाए जा रहे थे जोकि नियमानुसार उचित नहीं है तथा निम्न कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में निधियों शुल्कों से प्राप्त राशियों का बैंक खातों/सरकारी कोष में नियमानुसार शीघ्र जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

फंड का शीर्ष/प्रवेश शुल्क व विलम्ब प्रवेश शुल्क	फंडस प्राप्ति की अवधि	अवधि के दौरान प्राप्त राशि (₹)	जिस तिथि को सम्बन्धित बैंक खाते में जमा करवाई गई।
युनियन फंड	16–08–05 से 31–08–05	77,520	10–09–10
युनिवेर्सिटी फी फंड	25–08–03 से 29–08–03 तक	8620	15–09–03
यथोपरि	08–07–04 से 22–07–04 तक	12660	31–07–04
बिल्डिंग फंड	22–08–06 से 24–08–06	13080	28–08–06
यथोपरि	25–08–06 से 30–08–06 तक	22440	05–09–06

यथोपरि	31—08—06	1560	19—09—06
यथोपरि	29—06—13 से	1800	25—09—13
स्पोर्टस फंड	15—06—10	960	13—09—10
यथोपरि	16—06—10	720	13—09—10
यथोपरि	30—06—12	4320	04—07—12
यथोपरि	21—06—13	2640	26—06—13
यथोपरि	22—06—13	720	26—06—13
बुकस रिप्लेसमेंट फंड	15—06—10	100	28—09—10
यथोपरि	29—06—10	875	28—09—10
यथोपरि	30—06—12	450	04—07—12
प्रवेश शुल्क / विलम्ब प्रवेश शुल्क	30—09—01	4075	20—09—2001
यथोपरि	21—09—01	765 /—(425+340)	03—10—2001
यथोपरि	06—07—02 से 15—07—02	1225	22—07—02
यथोपरि	25—08—03 से 29—08—03	5180 /—(5100+80)	15—09—03
यथोपरि	08—07—04 से 22—07—04 तक	11060 (7400+3660)	26—07—04
यथोपरि	22—08—06 से 23—08—06 तक	2725	28—08—06
यथोपरि	24—08—06 से 30—08—06 से	4675	08—09—06
यथोपरि	31—08—06	325	20—09—06

व्ययः—

15 **₹40 अधिभार के रूप में बिजली विभाग को अनुचित भुगतानः—**

व्यय से सम्बन्धित बिलों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरण में बिजली के बिल का भुगतान करते समय ₹40 का अधिभार के रूप में अनुचित भुगतान

किया गया था जोकि नियमानुसार उचित नहीं है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 ₹40 की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए।

माह	फंड का शीर्ष	रोकड़ बही पृष्ट संख्या	बिल की वास्तविक राशि (₹)(क)	जितने का भुगतान किया गया(₹)(ख)	जितना राशि का अनुचित भुगतान किया गया (₹) (क– ख)
10/2004	होस्टल वाटर चार्जिस फंड	32	₹623 (422+201)	663 (442+221)	₹40

16 **<u>बिना प्रिंसिपल की स्वीकृति/बिल पारित किये ₹76,777 का अनियमित भुगतानः–</u>**

व्यय से सम्बन्धित बिलों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में वाऊचर पर प्रिंसिपल की व्यय स्वीकृति (expenditure sanction)/बिल पारित आदेश (Pass Order) के बिना ही यह भुगतान कर दिए गए थे जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृत प्राप्त करके नियमित करवाया जाए।

माह	फंड का नाम	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तुओं का विवरण
03/98	युनियन फंड	2	685/– (555+65+65)	स्पोर्टस मेटीरियल
10/2000	अनुपस्थिति फंड	30	82/–	स्टेशनरी आदि।
10/2000	रेड क्रोस फंड	1	10/–	स्टेशनरी आदि।
10/2000	युनियन फंड	17	385/–	स्पोर्टस मेटीरियल।
10/2000	युनियन फंड	17	109/–	बिजली का सामान।
10/2000	युनियन फंड	17	364/–	स्पोर्टस

				मेटीरियल।
10/2000	मैगजीन फंड	2	78/–	स्टेशनरी आदि।
10/2000	होस्टल क्लेरिकल फंड	2	50/–	स्टेशनरी आदि।
11/2003	आई. कार्ड्स फंड	11	3370/–	आई कार्डस
11/2003	होस्टल इलेकटरीसिटी फंड	25	6464 (306+381+1157+35+195+1866+2131+50+250+93)	बिजली के बिल्स आदि।
10/2004	रेड़ क्रोस फंड	1	4247/– (2720+1232+295)	वाटर टैंक. फिटिंग्स, रिपेयर चार्जिस आदि।
10/2004	कोमन रूम फंड	14	1120/–	रजाई कवर आदि।
10/2004	कोमन रूम फंड	14	864/–	दरी
10/2004	होस्टल इलेकटरीसिटी फंड	34	1955/– (1045+805+106)	बिजली के बिल्स तथा रोड्स।
.	होस्टल बिल्डिंग	....	8022/–	बिल्डिंग
10/2004	कमेटी फंड		[2100+65+175+18+761+180+1318 (429+91+368+378+52) +3405,	मेटीरियल, मजदूरी आदि।
04/2007	मैगजीन फंड	35	39700/–	मेग्ज़िन्स कि प्रिंटिंग।
01/2012	होस्टल इलेकटरीसिटी फंड	9	7132/– (2585+4547)	बिजली के बिल्स।
11/2013	मेस अडवांस फंड	10	1000/–	अएडवांस श्री नीता राम को वापिस किया गया।

11/2013	मेस अडवांस फंड	10	1000/—	अएडवांस संजय शर्मा को वापिस किया गया।
11/2003	लाईब्रेरी सिक्योरिटी फंड	....	140/—	बाइंडिंग चार्जिस, स्टेम्प बनवाई।
		जोड़=	**76777.00**	

17 **<u>सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना एक निधि से दूसरी निधि में राशियों अनियमित रूप से हस्तान्तरण करने बारेः—</u>**

अंकेक्षण के दौरान व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया के निम्नानुसार ₹35,902 ऋण के रूप में एक निधि से दूसरी निधि में बिना सक्षम प्राधिकारी (नियम 4.8.d) की स्वीकृति के हस्तातरित किये गये थे। इन राशियों को सम्बन्धित निधि में कब वापिस जमा किया गया इस बारे अंकेक्षण के दौरान अवगत नहीं करवाया गया था। अतः बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के एक निधि से दुसरी निधि में राशि हस्तातरित किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट किये जाने के साथ—2 अब सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति से इन राशियों का हस्तांन्तरण नियमित करवाके तथा सम्बन्धित निधियों में इन राशियों को वापिस जमा बारे अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में इन अनियमितता की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

माह	निधि का नाम	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि (₹)	जिस निधि में हस्तांतरित की गई।
10/96	मेडिकल/हेल्थ फंड	35	1200	बिल्डिंग फंड
04/07	युनियन फंड	88	25300	मेग्जिन फंड
04/10	अनुपस्थिति फंड	87	3800	कलचरल फंड
10/2013	फर्नीचर सिक्योरिटी फंड	41	5602	व्यय होस्टल बिल्डिंग की रिपेयर हेतु किया गया था।
		कुलयोग	**35,902**	

18 भुगतान के विरूद्व पावतियां प्रस्तुत न करनाः–

लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न भुगतान के विरूद्ध वास्तविक प्राप्ति रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई थी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सम्बन्धित रसीदें अब प्राप्त करके उन्हें आहरण एवं वितरण अधिकारी से सत्यापित करवाके आगामी अंकेक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

माह	फंड का शीर्ष	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि (₹)	विवरण	टिप्पणी
10/2004	कोमन रूप फंड	14	668	मजदूरी का भुगतान	₹130 का भुगतान श्री गुलाब मुहम्मद को गया था। पावती संलग्न नहीं थी।
10/2004	होस्टल वाटर चार्जिस फंड	32	663	पानी के बिल	पावती संलग्न नहीं थी।
10/2004	हाउस बिल्डिंग कमेटी फंड		3405	मजदूरी का भुगतान	₹325 का भुगतान श्री गुलाब मुहम्मद को गया था। पावती संलग्न नहीं थी।

19 बिना अवतरणें (Quotation) आमंत्रित किये सामान क्रय किये जाने बारेः–

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में वस्तुओं के क्रय से पूर्व अवतरणें आंमत्रित नही की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार (वित् विभाग) (रेगुलेशन) की अधिसूचना संख्या फिन (सी)ए(3) 5/2005, शिमला–171002 दिनॉक 12.8. 09 के नियम 98 के निर्देशानुसार 3000 से अधिक मुल्य (12/08/09) से पूर्व ₹1000 से अधिक) की वस्तुओं का क्रय अवतरणों के आधार पर ही किया जाना अपेक्षित था जोकि नहीं किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्त्तर स्वीकृति प्राप्त करके इस व्यय को नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में वस्तुओं का क्रय नियमानुसार

विहित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ताके बाजारी प्रति स्पर्धा का लाभ उठाया जा सके।

माह	**फंड का नाम**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्या**	**राशि (₹)**	**क्रय की गई वस्तुओं का विवरण**
12/95	अनुपस्थिति दण्ड निधि	8	4385	माइह स्टेंड, माइक रोकड़ आदि
10/2000	मिश्रित निधि	16	4720	प्रॉस्पेक्टस की पिंटिंग
10/2000	मिश्रित निधि	17	2454	स्पोर्टस मेटीरियल का क्रय
10/2004	रेड क्रोस निधि	1	1232	वाटर टैंक फिटिंग्स।
10/2004	मिश्रित निधि	53	₹1092 (बिल की पूरी राशि ₹2184 थी, जिसमें से बिल की आधी ₹1092 छात्रों से वसूली गई थी तथा आधी राशि का भुगतान यूनियन फंड में से किया गया था)	स्पोर्टस मेटीरियल
10/2004	मिश्रित निधि	52	2127	स्पोर्टस मेटीरियल
10/2004	यूनियन फंड	53	3656	स्पोर्टस मेटीरियल
10/2004	कोमन रूम फंड	14	1120	रजाई कवर आदि।
04/2006	यूनियन फंड	77	3406	आमन्त्रण पत्र
04/2006	यूनियन फंड	77	2100	बेनर्स
04/2006	यूनियन फंड	78	1720	बुके, मात्रा आदि
04/2006	यूनियन फंड	78	7440	खाने का सामान (चाय, समोसा आदि)
04/2006	यूनियन फंड	78	21350	टैंट तथा अन्य सामान का किराया।

04/2007	हाउस एग्ज़ाम	37	2740	लिफाफे एवं प्रिंटिंग चार्जिज आदि।
04/2007	कलचरल एक्टीवीटीज फंड	42	12000	टैंट्स आदि का किराया।
11/2008	होस्टल क्लीनीनेस फंड	35	2800	टैंक की सफाई।
04/2010	कलचरल एकटीवीटीज फंड	65	9800	टैंट्स आदि का किराया।
04/2013	अनुपस्थिति दण्ड निधि	09	9800	टैंट आदि का किराया।
04/2006	अनुपस्थिति दण्ड निधि	64	4775	बुकस।
04/2010	अनुपस्थिति दण्ड निधि फंड	87	15,085	बुकस।
04/2013	अनुपस्थिति दण्ड निधि फंड	09	7,398	बुकस।
10/2004	होस्टल बिल्डिंग कमेटी फंड	....	2100	बिल्डिंग मेटीरियल आदि।

20 **दर संविदा (Rate Conract) के आधार पर सामान क्रय न किये जाने बारेः–**

हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सभी विभागों, बोर्डो तथा निगम इत्यादि को अपने कार्यालयों की आवश्यकतों की वस्तुओं का क्रय सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर संविदाओं (Rate Contract) पर निर्धारित फर्मो से ही किया जाना अपेक्षित है तथा खुले बाजार से क्रय केवल उन्ही परिस्तिथियों में की जा सकती है जबकि कोई वस्तु दर संविदा पर उपलब्ध न हो परन्तु ऐसे प्रकरणों में भी नियन्त्रण, भण्डार क्रय, हिमाचल प्रदेश का अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित होता है।

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा खेल कूद से सम्बन्धित वस्तुओं का क्रय दर संविदिाओं के आधार पर न करके सीधे खुले

बाजार से किया गया था तथा क्रय से पहले नियन्त्रक, भण्डार क्रय, हिमाचल प्रदेश से नियमानुसार अनापति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नही किये गए थे जिसके कुछ उदाहरण निम्नविवरणानुसार हैं।

माह	**निधि का शीर्ष**	**कैश बुक पृष्ठ संख्या**	**राशि (₹)**	**टिप्पणी**
10/2000	मिश्रित निधि	17 से 18	4908 (2454+385+364+85 +1470+150)	स्पोर्टस मेटीरियल
03/98	मिश्रित निधि	2	685 (555+65+65)	यथोपरि
10/2004	मिश्रित निधि	52 से 53	6875 (2127+3656+1092)	यथोपरि
01/2006	मिश्रित निधि	72	12960 (6773+4253+1934)	यथोपरि

अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अनियमित तरीके से किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्ति करके नियमित करवाया जाए। तथा भविष्य में वस्तुओं का क्रय नियमानुसार उपरोक्त विहित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना फर्नीचर वस्तुओं की खरीद करने बारेः–

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा चयनित मासों में निम्नानुसार फर्नीचर वस्तुओं का क्रय किया गया था। पत्र संख्या Fin-1(c)14-1/92-vol.II, Government of Himachal Pradesh, Finance ‘F’ Section, Dated 22/04/1999 [Economy instuctions-EM 99(1)] के क्रम संख्या 7 में दिए गये निर्देश के अनुसार फर्नीचर वस्तुओं के क्रय से पूर्व वित्त विभाग की पूर्व अनुमति ली जानी अनिवार्य थी परन्तु अंकेक्षण के दौरान यह स्वीकृति दर्शाई नही गई जिससे यह प्रतीत होता है कि यह स्वीकृति ली ही न गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा निम्नलिखित फर्नीचर वस्तुओं के क्रय को अब सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा, अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

भविष्य में फर्नीचर वस्तुओं का क्रय करते समय सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

माह	**निधि का शीर्ष**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्या**	**राशि (₹)**	**क्रय की गई वस्तुओं का विवरण।**
09/2001	मिश्रित निधि	28	33936	(डेस्क)
09/2002	मिश्रित निधि	35	20271	(डेस्क)
10/2000	मिश्रित निधि	17	12120	(डेस्क)
10/2000	मेडिकल/हेल्थनिधि	49	4848	(डेस्क)
09/2001	फर्नीचर रिपेयर निधि	8	2424	(डेस्क)
11/2003	मिश्रित निधि	45	1100	(रिवोल्विंग चेयर)

22 विभिन्न निधियों से ₹33415 का अनाधिकृत व्ययः—

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विभिन्न निधियों से ₹35415 का व्यय किया गया जोकि हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता के सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत इन निधियों पर उचित प्रभार प्रतीत नही होते है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

माह	**निधि का शीर्ष**	**कैश बुक पृष्ठ संख्या**	**राशि (₹)**	**टिप्पणी**
10/2000	मिश्रित निधि	17	2454	स्पोर्टस मेटीरियल
10/2000	मिश्रित निधि	17	385	यथोपरि
10/2000	मिश्रित निधि	17	364	यथोपरि
10/2000	मिश्रित निधि	18	85	यथोपरि
10/2000	मिश्रित निधि	18	1470	यथोपरि
10/2000	मिश्रित निधि	18	150	यथोपरि

03/98	मिश्रित निधि	2	685 (55+65+65)	यथोपरि
10/2004	मिश्रित निधि	52 से 53	6875 (2127+3656+1092)	यथोपरि
01/2006	मिश्रित निधि	72	12960 (6773+4253+1934)	यथोपरि
12/95	अनुपस्थिति दण्ड निधि	8	4385	माइक स्टेंड, माईक रोड आदि।
10/2013	फर्नीचर सिक्योरिटी निधि	41	5602	व्यय होस्टल बिल्डिंग की रिपेयर हेतु किया गया था।
		जोड़=	**35415.00**	

23 **<u>मुद्रण कार्य राजकीय मुद्रणालय शिमला से न करवाकर सीधे खुले बाजार से करवाया जानाः–</u>**

छात्र निधि लेखों की जांच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा पहचान पत्र व विभिन्न अन्य मुद्रण कार्य हिमाचल प्रदेश राजकीय मुद्रणालय शिमला से न करवाकर सीधे खुले बाजार से करवाया जा रहा था तथा बाजार से मुद्रण कार्य करवाये जाने से पूर्व कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त नहीं किया गया जोकि निम्नलिखित कुछ प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है। अतः मुद्रण का कार्य राजकीय मुद्रणालय से न करवाकर सीधे खुले बाजार से करवाए जाने बारे स्थिति की जाए व भविष्य में मुद्रण का कार्य राजकीय मुद्रणालय से ही करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

फंड का शीर्ष	माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	रसीद/बिल संख्या/दिनाँक	फर्म का नाम	राशि (₹)	टिप्पणी
मैंगजीन फंड	04/2007	35	501/433 13/04/2007	कार्ड्स गैलरी आनंद कौम्प्लेक्स सोलन	39,700	मैंगजीन की छपवाई हेतु

परिचय पत्र फंड	04 / 2001	5	1299 / 03 / 04 / 2001	ग्रीन बेली प्रिंटर सोलन.	1965	परिचय पत्रों की छपवाई / क्रय हेतु।
यथोपरि	16 / 04 / 2002	11	236 / 16 / 04 / 2002	सी वेव इंटरप्राइजेज, सोलन।	2850	यथोपरि
यथोपरि	10 / 12 / 2002	17	4873 / 10 / 12 / 2002	राज बुक डिपो, सोलन।	3150	यथोपरि
यथोपरि	11 / 2003	23	....	सचिन फोटो स्टूडियो, पुराना बाजार, सुदर नगर।	3370	यथोपरि
यथोपरि	10 / 09 / 2004	28	....	शर्मा आर्ट स्टूडियों सोलन।	4300 (4240 +60)	यथोपरि
यथोपरि	22 / 09 / 2005	33	1048 22 / 09 / 2005	अगन फोटो स्टूडियों सोलन।	4140	यथोपरि
यथोपरि	29 / 11 / 2006	40	0 / 29 / 11 / 06	दिपु फोटो ग्राफर सोलन।	4310	यथोपरि
यथोपरि	03 / 11 / 2007	47	0 / 03 / 11 / 2007	यथोपरि	4100	यथोपरि
यथोपरि	15 / 10 / 2008	53	0 / 15 / 10 / 2008	यथोपरि	3360	यथोपरि
यथोपरि	07 / 08 / 2009	60	098 / 07 / 08 / 2009	एस.के.ट्रेडर्स, सोलन।	4000	यथोपरि
यथोपरि	06 / 07 / 2011	12	....	एस.के.ट्रेडर्स, सोलन।	5000	यथोपरि
यथोपरि	29 / 08 / 2012	18	2156 / 21 / 08 / 2012	....	900	यथोपरि

24 <u>**वस्तुओं के क्रय के दौरान अपनाई गई अपुर्ण/संदेहास्पद प्रकिया बारेः–**</u>

लेखा परीक्षा में पाया गया कि वस्तुओं के क्रय करते समय नियमानुसार विहित पूर्ण प्रक्रिया [अवतरणें (Quotations) सगंह करने के लिए समिति का गठन किया जाना, सीलबंद अवतरणें प्राप्त करना, अवतरण संग्रह तथा खाले जाने पर समिति सदस्यों द्वारा सत्यापन किया जाना, रेट्स की तुलनात्मक विवरणी तैयार करना आदि] नही अपनाई गई थी जोकि निम्नलिखित कुछ प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता हैः–

चयनित माह	फंड का शीर्ष	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	राशि	क्रय की गई वस्तुओं का विवरण	विक्रेता/बिल संख्यां व दिनांक	टिप्पणी
11/2003	परिचय पत्र फंड	11	3370	आई कार्ड्स	सचिन फोटो स्टूडियों, सोलन।	इस क्रय के दौरान जो अवतरणें (कीर्ति स्टुडियों सुदंर नगर, महाजन स्टूडियों सोलन, सचिन फोटो स्टुडियों सुदर नगर, शर्मा फोटोग्राफर सुदर नगर) एकत्रित की गई थी उन पर कोई तिथि अंकित नहीं थी, जिन समिति सदस्यों द्वारा यह एकत्रित की गई थी उनके हस्ताक्षर भी इन पर नही थे तथा रेट्स की तुलनात्मक विवरणी भी नही बनाई गई थी।
10/2004	रेड क्रोस फंड	1	2720	वाटर टैंक	मनीष इंटरप्राइजेज सोलन/0151 दिनाँक 08/10/2004	इस क्रय के दौरान जो अवतरणें (जोहरी लाल एंड बसीं धर सोलन, एम्.के. इंडस्ट्रीस सोलन, मनीष इंटरप्राइजेज सोलन) एकत्रित की गई थी उन पर जिन समिति सदस्यों द्वारा यह एकत्रित की गई थी उनके हस्ताक्षर नही थे तथा रेट्स की तुलनात्मक विवरणी भी नही बनाई गई थी।
11/2009	मिश्रित फंड	30	(998+1560)	ट्रेक सूट	जालन्धर स्पोर्टस, सोलन/100 दिनाँक	इस क्रय के दौरान जो अवतरणें (Quotations) एकत्रित की गई थी उनमें से केवल जालन्धर स्पोर्ट्स,

					04/11/09	सोलन की अवतरण ही letter head की मूल प्रति (Original) पर थी शेष दो अवतरण (आहूजा जनरल स्टोर, सोलन तथा बतरा ट्रेडर्स, सोलन) letter head की छाया प्रतियों (photostate) पर थी जबकि यह अवतरनें भी letter head की मूल प्रति पर होनी चाहिए थी।

अतः उपरोक्त अनियमितताओं बोर अपने स्तर पर छानबीन की जाए तथा इनके कारण यदि महाविद्यालय कोष को कोई हानि हुई पाई जाती है तो उसकी भरपाई उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण का अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इन अनियमितताओं की पुरावृति न हो भी सुनिश्चित किया जाए।

25 <u>डुप्लीकेट letter head पर बनाई गये बिलों के आधार पर भुगतान किये जानें बारेः–</u>

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया निम्नलिखित प्रकरणों में महाविद्यालय द्वारा डुप्लीकेट/letter head पर बनाई गये बिलस के आधार पर भुगतान किया गया था जबकि नियमानुसार यह भुगतान बिल के विहित प्रपत्र के आधार किया जाना अपेक्षित था। अतः डुप्लीकेट बिलस के आधार पर भुगतान किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बिल के विहित पप्रत्र के आधार पर ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

माह	निधि का शीर्ष	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि	कय की गई वस्तुओं का विवरण	फर्म का नाम	टिप्पणी
11/2003	परिचय पत्र फंड	11	3370	आई कार्ड्स	सचिन फोटो स्टूडियों, सोलन।/शुन्य दिनाँक अंकित नहीं थी।	letter head पर बनाई गये बिल के आधार पर भुगतान किया गया था।
04/2006	मिश्रित फंड	78	7440	चाय समोसा आदि।	शूलिनी टेंट हाउस।	यथोपरि।

04/2006	मिश्रित फंड	78	21350	स्टेशनरी, बेनर्स, टेंट चार्लिस, कार्ड्स आदि।	शूलिनी इंटरप्राइजेज	यथोपरि।
10/2004	होस्टल बिल्डिंग कमेटी फंड	....	2100	बिल्डिंग मेटीरियल	वर्मा ट्रांसपोर्ट, सोलन।	यथोपरि।

26 **बिलों/कैंश मैमों पर नियमानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र न दिए जाने बारेः–**

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि अधिकतम बिलों/कैंश मैंमों पर हिमाचल प्रदेश सरकार, वित (रेगुलेशन) विभाग की अधिसूचना संख्या फिन (सी) ए(3) 5/2005, शिमला–171002 दिनाँक 12.8.09 के नियम संख्या 97 तथा 98 द्वारा वांछित प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे है जोकि सरकारी निर्देशों की सीधे तौर पर अवहेलना है। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियमों में दिए गए निर्देशों की नियमित रूप से अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए।

27 **पहचान पत्र नियमित रूप से न बनवाये जाने बारेः–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान पहचान पत्र निधि के अन्तर्गत ₹1747 प्राप्त किये गये थे परन्तु इस दौरान इस निधि में से कोई व्यय नहीं किया गया था जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि महाविद्यालय द्वारा इस वर्ष के दौरान पहचान पत्र बनवाये ही नही गए। यह राशि जिस उद्धेश्य के लिए एकत्रित की गई थी उसके लिए उपयोग ही नही की गई। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में विद्यार्थियों के पहचान पत्र नियमानुसार नियमित रूप से बनवाये जाने सुनिश्चित किया जाए।

28 **मैगजीन का मुद्रण व वितरण न किये जाने बारेः–**

महाविद्यालय माह 09/2000 से मेगजीन निधि की प्राप्त रही है तथा इस के अतंर्गत शिक्षा निदेशालय के ज्ञापन सं0 शिक्षा–एच(21)–विविध–2001, दिनाँक 04.11.2004 में प्रत्येक पाठशाला में प्रत्येक वर्ष छात्र/छात्राओं के लिए मैंगजीन का मुद्रण करवाने व

बांटने का प्रावधान रखा गया ताकि छात्र/छात्राओं को इस का पूरा लाभ मिल सके। दिनाँक 31/03/2014 को मैगजीन फण्ड में ₹68,322 शेष थे तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान केवल वर्ष 2007–08 (₹39,700) को छोड़ कर मैगजीन फंड से कोई व्यय ही नहीं किया गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि महाविद्यालय ने मैगजीन का मुद्रण नियमित रूप से नही करवाया गया अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में निर्देशानुसार नियमित रूप से मैगजीन का मुद्रण तथा छात्र/छात्राओं में इनका वितरण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

29 **स्टोर/स्टॉक :–**

अंकेक्षण के दौरान स्टोर/स्टॉक से सम्बन्धित अभिलेख के रख–रखाव में निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई:–

(i) सम्बन्धित स्टोर/स्टॉक/कंटीजेंट रजिस्टर्स में प्रविष्टियाँ न दर्शाए जाने बारे:–

अंकेक्षण के दौरान कई बार मौखिक तथा लिखित रूप से आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित क्रय की गई वस्तुओं तथा बिलों के भुगतान से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ स्टोर/स्टॉक/कंटीजेंट रजिस्टर्स में नहीं दर्शाई गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। यह भी पाया गया कि क्रय की गई कई वस्तुओं की प्रविष्टियाँ सम्बन्धित रजिस्टरों में नही की गई थी। निम्नलिखित प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित अन्य मासों में क्रय की गई वस्तुओं की प्रविष्टियाँ भी रजिस्टर्स में न की गई हो इस सम्भावना से भी इन्कार नही किया जा सकता है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सभी वस्तुओं की प्रविष्टियां अब स्टॉक रजिस्टर में की जाए भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियां सक्षम अधिकारी द्वारा भी सत्यापित करवाई जाए सम्पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

माह	निधि का नाम	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तुओं का विवरण
12/95	अनुपस्थिति दण्ड निधि	8	4385/–	माइक स्टेंड, माइस रोड आदि
03/98	मिश्रित निधि	2	685/– (555+65+65)	स्पोर्टस मेटीरियल

09/98	मिश्रित निधि	5	200/—	मेग्जिंस
10/2000	अनुपस्थिति दण्ड निधि	30	82/—	स्टेशनरी आदि।
10/2000	रेड क्रोस निधि	43	10/—	स्टेशनरी आदि।
10/2000	मेडिकल/हेल्थ निधि	49 तथा 50	5503/— (75+364+4848 +206+10)	पिंटिंग चार्जिस, फर्नीचर, स्टेशरी आदि।
10/2000	मिश्रित निधि	16 से 19	24067/— (4720+12120+2454+385 109+364+40+85+180+1470 +10+60+150+20+1890+10)	स्पोर्टस मेटीरियल, इलेक्ट्रिक गुड्स, स्टेशनरी आदि
10/2000	कैम्पस अपकीस फंड	2	90/—	स्टेशनरी आदि।
	फर्नीचर रिपेयर फंड	3	1567/— (1212+265+90)	फर्नीचर, स्टेशनरी, केनिंग चार्जिस आदि।
10/2000	आई. कार्ड्स फंड	2	90/—	स्टेशनरी आदि।
10/2000	कलचर एकटीवीटीस फंड	2	78/—	स्टेशनरी आदि।
10/2000	स्टूडेंट ऐड फंड	2	78/—	स्टेशनरी आदि।
10/2000	मैगजीन फंड	2	78/—	स्टेशनरी आदि।
10/2000	कोमन रूम फंड	2	78/—	स्टेशनरी आदि।
10/2000	युटेनसिल फंड	1	258/— (78+180)	स्टेशनरी, बाल्टी आदि
10/2000	फर्नीचर	2	50/—	स्टेशनरी आदि।

	सिक्योरिटी फंड			
10/2000	होस्टल एम्प्लाइज फंड	2	90/–	स्टेशनरी आदि।
10/2000	होस्टल क्लेरिकल फंड	2	50/–	स्टेशनरी आदि।
10/2000	होस्टल क्लीनलीनेस फंड	2 तथा 3	705/– (90+364+121+36+94)	स्टेशनरी, प्रिटिंग आदि।
10/2000	होस्टल वाटर चर्जिस फंड	2 तथा 3	312/– (80+90+71+71)	पानी के बिल
10/2000	होस्टल इलेकटरीसिटी फंड	2 से 4	1928/– (350+404+787+69+31+110 +87+90)	बिजली के बिल, बिजली की फिटिग्स आदि।
09/2001	मिश्रित फंड	28	33936/–	फर्नीचर आइब्म्स
09/2001	फर्नीचर रिपेयर फंड	8	2640/– (2424+216)	फर्नीचर तथा रिपेयर चार्जिस।
09/2001	होस्टल इलेकटरीसिटी फंड	11	288/– (69.80+16.10+20+1.70)	बिजली के बिल्स।
09/2002	मिश्रित फंड	35	20596/– (20271+325)	फर्नीचर आइटम्स
11/2003	मिश्रित फंड	45	1100/–	फर्नीचर आइटम्स
11/2003	आई. कार्ड्स फंड	11	3370/–	आई कार्ड्स।
11/2003	लाईबेरी सिक्योरिटी फंड	....	140/–	स्टैम्प्स की बनवाई तथा बाईडिंग।
11/2003	युटेनसिल फंड	11	170/–	बाल्टियां

11/2003	होस्टल क्लेरिकल फंड	10	1355/—	क्लेरिकल फी का भुगतान
11/2003	होस्टल क्लीनलीनेस फंड	14	134/—	स्टोर आईटम्स
11/2003	होस्टल वाटर चर्जिस फंड	24	1250/— (643+50+200+48+108+201)	पानी के बिल्स, फिटिंग का सामान नलके आदि।
11/2003	होस्टल इलेकटरीसिटी फंड	25	6464/— (306+381+1157+35+195 +1866+2131+50+250+93)	बिजली के बिल्स आदि।
10/2004	रेड क्रोस फंड	1	4247/— (2720+1232+295)	वाटर टैंक, फिटिंग्स, रिपेयर चर्जिस आदि।
10/2004	मिश्रित फंड	51 से 54	10750/—	स्पोर्टस मेटीरियल, मिठाई, स्टेशनरी आदि।
10/2004	कलचर एकटीवीटीस फंड	26	3780/—	टेंट्स आदि का किराया, रिपेयर चार्जिस आदि।
10/2004	कोमन रूम फंड	14	3298/— (646+668+1120+864)	विभिन्न स्टोर सम्बन्धी वस्तुएं, मजदूरी आदि।
10/2004	युटेनसिल फंड	15	328/—	बाल्टियां, मग आदि।
10/2004	होस्टल बिल्डिंग कमेटी	....	8022/— (2100+65+175+18+761+	बिल्डिंग मेटीरियल,

	फंड		180+1318+3405)	मजदूरी आदि।
10/2004	होस्टल क्लीनलीनेस फंड	19	6204/— (2082+1608+2514)	सीमेंट मजदूरी आदि।
10/2004	होस्टल वाटर चर्जिस फंड	32	663/—(442+221)	पानी के बिल्स
10/2004	होस्टल इलेकटरीसिटी फंड	34	1955/— (1045+804+106)	बिजली के बिल्स तथा रोड्स।
01/2006	युनियन फंड	72 से 74	15830/— (200+100+320+2250+6773 +4253+1934)	एंट्री फी, स्पोट्स मेटीरियल, रिफ्रेशमेंट चार्जिस अदि।
01/2006	यूनिवर्सिटी फी फंड	51	20150/—	वार्षिक affiliation फी।
01/2006	होस्टल क्लेरिकल फंड	19	1430/—	क्लेरिकल फी का भुगतान
01/2006	होस्टल वाटर चर्जिस फंड	42	431/—	पानी के बिल्स
04/2006	अनुपस्थिति फंड	64	13370/— (8370+4775+68+157)	बुकस, मेडल्स मोमेंटो, गिफ्ट पेपर आदि।
04/2006	युनियन फंड	77 से 78	59506/— (23100+3406+390+2100+ 1720+7440+21350)	स्टेशनरी, बेनर्स, टैंट चार्जिस, काईस आदि।
04/2006	युनिवर्सिटी फी फंड	55	20000/—	वार्षिक affiliation फी।

04/2007	होस्टल क्लेरिकल फंड	24	1000/—	क्लेरिकल फी का भुगतान
04/2007	अनुपस्थिति फंड	69,70 तथा 71	33047/— (291+73+500+78+9505+42 +4190+18368)	बुकस, कार्ड्स, स्टोर आईटम्स, मिठाई आदि।
04/2007	युनियन फंड	88	25300/—	मेग्जिन की छ़पाई।
04/2007	हाउस एक्साम	37	2740/—	इन्वेल्प्स का क्रय, प्रिंटिंग चार्जिस आदि।
04/2007	कलचरल एकटीवीटीस फंड	42	12000/—	टेंट्स आदि का किराया।
04/2007	मैगजीन फंड	35	39700/—	मेग्जिंन्स कि प्रिंटिंग।
04/2008	होस्टल क्लेरिकल फंड	28	755/—	क्लेरिकल फी का भुगतान
11/2008	होस्टल क्लीनलीनेस फंड	35	2966/— (2800+166)	सफाई का भुगतान एंव स्टोर आइटम्स।
11/2009	युनियन फंड	30	41052/— (26982+998+948+200+140 +1560+1664+4181+200+ 500+3450+229)	ट्रेक सूट, बस फेर, रिफ्रेशमेंट चार्जिस, टुअर चार्जिस आदि।
04/2010	अनुपस्थिति फंड	87	28635/— (15085+13550)	बुकस, मेडल्स मोमेंटो, आदि।
04/2010	युनियन फंड	36	1230/—	लेटर पेड्स, काईस आदि।
04/2010	कलचर	65	9800/—	टेंटस आदि का

	एकटीवीटीस फंड			किराया।
04/2010	लाईबेरी सिक्योरिटी फंड	अंकित नहीं	700/–	बुकस
04/2010	होस्टल विद्युत निधि	59	4835/– (2093+2742)	बिजली के बिल्स।
01/2012	लाईबेरी सिक्योरिटी निधि	अंकित नहीं	101170/–	बुकस
01/2012	होस्टल वाटर चर्जिस फंड	11	301/–	पानी के बिल्स।
01/2012	होस्टल विद्युत निधि	9	7132/–(2585+4547)	बिजली के बिल्स।
02/2013	मिश्रित फंड	10	1,36,500/–	फर्नीचर आइटम्स
02/2013	होस्टल विद्युत निधि	48	600/–	झाडु, साबुन आदि।
02/2013	होस्टल वाटर चर्जिस फंड	15	180/–	पानी के बिल्स।
02/2013	होस्टल विद्युत निधि	12	9160/–	बिजली के बिल्स।
04/2013	अनुपस्थिति दण्ड निधि	09	44333/– (9800+1725+7398+2463 +22948)	बुकस, टेंट आदि का किराया, मेडल्स, मोंमेंटो आदि।
04/2013	लाईबेरी सिक्योरिटी निधि	अंकित नहीं	1,03,950/–	फर्नीचर
04/2013	होस्टल वाटर	15	241/–	पानी के बिल्स।

	चर्जिस फंड			
04/2013	होस्टल विद्युत निधि	12	5077/–(2447+2630)	बिजली के बिल्स।

(ii) स्टोर/स्टॉक तथा अन्य विभिन्न रजिस्टरों को Inventory Register में दर्ज न किये जाने बारेः–

विभिन्न रजिस्टरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि किसी भी रजिस्टर को मुख्य स्टोर से जारी करते समय Inventory Register में दर्ज नहीं किया गया था जोकि नियमानुसार किया जाना अनिवार्य है ताकि महाविद्यालय में प्रयोग में लाये जा रहे विभिन्न रजिस्टिरों की सत्यता प्रमाणिक की जा सके तथा महाविद्यालय प्रयोग में लाये जा रहे सभी रजिस्टरों की सही जानकारी प्राप्त हो सके। अतः महाविद्यालय के सभी रोकड़ बहियों, स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों तथा अन्य विविध रजिस्टिरों को Inventory Register में दर्ज कर के तथा उन पर Inventory no. लिख कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(iii) स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन (Physical verfication) न करवाए जाने बोरः–

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचनाओं द्वारा तथा मौखिक रूप से कई बार स्टोर/स्टॉक के भौतिक सत्यापन करवाए जाने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। इससे यह प्रतीत होता है कि नियमानुसार नियमित रूप से स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन ही नही करवाया जा रहा है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है तथा हिमाचल प्रदेश सरकार (वित विभाग (रेगुलेशन) की अधिसूचना संख्या फिन (सी) ए(3) 5/2005 शिमला–171002 दिनाँक 12.8.09 के नियम 140 तथा 141 में दिए गए निर्देशों तथा प्रक्रिया के अनुसार प्रत्यक्ष सत्यापन प्रत्येक वर्ष में किए जाना अनिवार्य है। इसके अभाव से न तो स्टोर/स्टॉक में उपलब्ध उपयोगी वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का बोध होता है तथा न ही विभिन्न अनुपयोगी वस्तुओं का समय पर नियमानुसार निस्तारन (disposal) किया जा सकता है। अतः उपरोक्त अनियमितता के कारण स्पष्ट करने के साथ इस विषय में कृत आवश्यक कार्यवाही से अगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन नियमानुसार नियमित रूप से करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

30 <u>विविधः—</u>

(i) अभिलेख उपलब्ध न करवाए जाने बारेः

अधियाचना संख्या 145 दिनाँक 26/12/14 द्वारा तथा कई बार मौखिक रूप से आग्रह करने पर भी पाठशाला द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता के नियम 4.6.1 (xii) तथा 4.6.11 (n) (ii) के निर्देशानुसार स्पोर्ट्स फंड तथा स्काउट एंड गाईड फंड से क्रमशः जिला एवं राज्य खेल संघ/जिला शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी गई राशि बारे तथा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विभिन्न फंडो (पंजीकरण शुल्क, युनिविर्सिटी निरंतरीकरण शुल्क, युवक कल्याण शुल्क, होलीडे होम शुल्क, कीडा शुल्क) जिनके अतंर्गत प्राप्त की गई राशियों को विश्वविद्यालय, शिमला को भेजे जाना अनिवार्य है से सम्बन्धित कोई भी जानकारी उपलब्ध नही करवाई गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। इस कारण महाविद्यालय द्वारा यह राशियाँ नियमित रूप से भेजी जा रही है इस तथ्य की पुष्टि नही की जा सकी। इससे यह भी प्रतीत होता है कि महाविद्यालय द्वारा इस से सम्बन्धित किसी अभिलेख का रख रखाव भी नही किया जा रहा है जिसे से यह स्पष्ट हो सके कि कब–2 कितनी राशियाँ सम्बन्धित प्राधिकारी को भेजी गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अब इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) पुस्तकालय प्रतिभूति रजिस्टर के रख रखाव बारेः—

पुस्तकालय प्रतिभूति रजिस्टर की पड़ताल के दौरान इसके रख रखाव में निम्नलिखित कमियाँ/आपत्तियां पाई गईः—

(क) रजिस्टर में कई पृष्टों से सम्बन्धित स्तम्बो में सम्पूर्ण आवश्यक विवरण जैसे कि छात्र/छात्रा द्वारा कब कालेज छोड़ा गया, किस तिथि को प्रतिभूति की वापसी की गई आदि की प्रविष्टि नही पाई गई। कई प्रकरणों में छात्र/छात्राओं जिन्हें प्रतिभूति की वापसी की गई उनके हस्ताक्षर जोकि नियमानुसार लिए जाने अनिवार्य है वह भी नही पाए गये जिसके अभाव में इन छात्र/छात्राओं को वास्तव में प्रतिभुति की प्राप्ति हुई इस तथ्य का सत्यापन नही किया जा सका। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से हैः

रजिस्टर की पृष्ठ संख्यां	छात्र/छात्रा का नाम	प्रतिभूति की प्राप्ति की तिथि	जिस तिथि को कालेज	जिस तिभि को प्रतिभूति का भुगतान	राशि (₹)	टिप्पणी

			छोड़ा।	किया गया।		
5	हरप्रीत	5—9—96	लिखी नही गई।	8/8/01	100/—	रजिस्टर पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नही थे।
12	आशा शर्मा	10—11—98	लिखी नही गई।	लिखी नही गई।	200/—	यथोपरि
12	सुरेश दत्त	10—11—98	लिखी नही गई।	लिखी नही गई।	200/—	यथोपरि
14	संदीप कुमार	17—8—99	लिखी नही गई।	लिखी नही गई।	100/—	यथोपरि
17	चिंतामणी	12—10—99	लिखी नही गई।	लिखी नही गई।	200/—	यथोपरि
				कुलयोग	**800/—**	

अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उपयुक्त स्त्रोत से इन राशियों की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

(ख) रजिस्टर का दिनाँक 01/09/10 (पृष्ठ संख्या "81") के पश्चात रख रखाव ही नही किया जा रहा था इस दिनाँक के पश्चात रजिस्टर में प्रतिभूति की प्राप्ति तथा भुगतान से सम्बन्धित कोई भी प्रविष्टियाँ नही की गई थी जबकि नियमानुसार रजिस्टर का नियमित रूप से रख रखाव किये जाना अपेक्षित है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए इस बारे अब अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में रजिस्टर का नियमित रूप से रख रखाव किये जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

(ग) अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 145 दिनाँक 26/12/14 तथा मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने के बावजूद अंकेक्षण अवधि के दौरान कालातीत तथा जब्त की जा चुकी लाईब्रेरी प्रतिभुतियों का विवरण प्रस्तुत नही किया गया। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा समस्त कालातीत लाईब्रेरी प्रतिभूतियों का विवरण

तैयार करके इस राशि को जब्त किया जाए व इसका हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता 2001 के नियम 4.6.13 को ध्यान में रखते हुए उपयोग भी किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(iii) लाइब्रेरी बुकस के देरी से वापिस करने पर छात्र/छात्राओं से प्राप्त दण्ड शुल्क के अनुपस्थिति फंड में जमा किये जाने बारे सुचना उपलब्ध न करवानाः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान (04/95 से 03/14) लाईबेंरी बुकस के देरी से वापिस करने पर छात्र छात्राओं से दण्ड शुल्क के रूप में प्राप्त राशि की अनुपस्थिति दण्ड निधि में जमा किये जाने बारे महाविद्यालय द्वारा कोई सुचना उपलब्ध नही करवाई गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए आगामी अंकेक्षण पर इस जानकारी का प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता के नियम 4.6.4 (a) के अनुसार नियमित रूप से प्राप्त इस दण्ड शुल्क का अनुपस्थिति फाइन फंड में जमा किया जाना सुनिश्चित की जाए।

(iv) निर्देशानुसार समिति का गठन तथा होस्टलरस से Misc.Fund के अंतर्गत शुल्क प्राप्त न करनाः–

निदेशालय, उच्च शिक्षा, हिमालच प्रदेश की पत्र संख्या EDN-H(21)A(1)-2009 दिनाँक 31/10/2009 में दिए गये निर्देशानुसार जिन संस्था में होस्टल की सुविधा दी जा रही है उन संस्थाओं में इन होस्टल्स को self financing के आधार पर चलाया जाना अपेक्षित है जिस उद्धेश्य की पूर्ति के लिए इस पत्र में दिए गये निर्देशानुसार समिति का गठन तथा समिति द्वारा Misc.Fund का सृजन किया जाना अनिवार्य था। होस्टलरस से इस फंड के अतंर्गत जो भी शुल्क (Charges) लिए जाने था वह भी इस समिति द्वारा तय किये जाने अपेक्षित थे ताकि होस्टल्स का सही रख रखाव व उन्हें सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस फंड के अंतर्गत शुल्क सरकार द्वारा होस्टल्स के लिए निर्धारित अन्य फी/फंड्स के अतिरिक्त लिया जान अनिवार्य था परन्तु चर्चा के दौरान यह पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा इस फंड का सृजन ही नही किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व नियमानुसार होस्टल के छात्रों से विविध निधि की वसूली सुनिश्चित की जाए। तथा आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(v) अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान कई बार लिखित तथा मौखिक रूप से आग्रह करने के पश्चात भी निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आगामी अंकेक्षण पर यह अभिलेख आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

शीर्ष	**विवरण**	**अवधि तथा विवरण**	**टिप्पणी**
पास बुकस जो प्रस्तुत नही की गई।	रेड क्रोस फंड	माह 10 / 96 में प्राप्त आय ₹217.80 10 / 97 में ₹308.55 तथा 11 / 98 में ₹135	रोकड़ बही के अनुसार इन चयनित मासों में प्राप्त आय का मिलान पास बुकस से नहीं किया जा सका।
यथोपरि	अनुपस्थिति फाइन फंड	माह 11 / 98 में प्राप्त ₹27	यथोपरि
यथोपरि	हेल्थ फंड	माह 09 / 95 में प्राप्त आय ₹1465. 45, 09 / 96 में ₹692.35 10 / 97 में ₹773.40, 11 / 98 में ₹225	यथोपरि
यथोपरि	मिश्रित फंड	माह 09 / 95 में ₹377.65, 09 / 96 में ₹399.80, 10 / 97 में ₹473.65 11 / 98 में ₹360	यथोपरि
यथोपरि	लाइब्रेरी फंड	माह 11 / 98 में ₹2700, 11 / 99 में ₹200 / –, 09 / 2000 में ₹9900 / – 09 / 2001 में ₹1600, 07 / 2002 में ₹10201.09, 08 / 2003 में ₹1100, 07 / 2004 में ₹6071 तथा 08 / 2006 में ₹1800।	यथोपरि
व्यय से सम्बन्धित वाऊचर्स जो	लाइब्रेरी सिक्योरिटी फंड	माह 09 / 98 ₹1075 / – (203+323+225+324), 10 / 2000 ₹2045 / –(200+10+80+1154+	व्यय की पडताल नही की जा सकी।

प्रस्तुत नही किये गये।		519+10+75), 09/2001 ₹300/– (200+100)	
यथोपरि	फर्नीचर रिपेयर फंड	माह 09/2001 में ₹216/–	यथोपरि
यथोपरि	होस्टल वाटर चर्जिस फंड	माह 09/2001 में ₹775/–	यथोपरि
यथोपरि	मिश्रित फंड	माह 11/08 में ₹40031/– ₹(6039+4545+447+29000)	यथोपरि
यथोपरि	युनिवेर्सिटी फी फंड	माह 01/06 में ₹20150/– (13440+6710)	यथोपरि

(vi) नियमों के प्रतिकूल छात्र के उपचार पर नगद भुगतान किया जानाः–

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि श्री कुलदीप कुमार (छात्र, कक्षा शास्त्री–III) ने कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान चोटग्रस्त हो जाने के कारण अपने उपचार पर ₹787/– का व्यय किया था उसे इस राशि का दिनाँक 02/04/2010 को (हेल्थ फंड) नगद भुगतान किया गया था जोकि उचित नही है तथा नियमानुसार उपचार हेतु छात्रों को केवल मुक्त में दवाईयां दिए जाने का प्रावधान है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 सक्षम प्राधिकारी से इसे नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

(vii) रेखाकित बैंक चैंक द्वारा भुगतान न करके नकद भुगतान किया जानाः–

व्यय की पडताल के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा सभी भुगतान नकद किये गये थे जबकि सभी भुगतान रेखाकित बैंक चैंक द्वारा किये जाने अपेक्षित थे। अतः यह सुझाव दिया गया कि भविष्य में भुगतान रेखांकित बैंक चैंक द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

31 **लधु आपत्ति विवरणिकाः–** अलग से ज़ी नहीं की गई हैं।

32 **<u>निष्कर्षः—</u>** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)सी(15)xi(iv)45/84—2000—2002 दिनांक 24.04.2015, शिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत

1. निदेशक, शिक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला—171001
2. प्रधानाचार्य राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को शीघ्र भेजें।
3. उप निदेशक (सकैण्डरी शिक्षा) सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

हस्ता/—

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.